न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर.
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 378/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–श्रीमती माडीदेवी पत्नी अमराराम 2–धर्माराम पुत्र अमराराम 3–रामदयाल पुत्र अमराराम 4–श्यामलाल पुत्र अमराराम 5–बलदेवराम पुत्र अमराराम 6–रामपाल पुत्र अमराराम 7–चुन्नीलाल पुत्र सूजाराम 8–नेमीचंद पुत्र सूजाराम 9–बलवीर पुत्र सूजाराम सभी जातियान कुम्हार निवासीगण गोटन, तहसील मेडता जिला नागौर		1– गुलाबराम पुत्र बुधाराम 2– मदनलाल पुत्र बुधाराम जातियान कुम्हार हाल निवासी नेशनल हाईवे संख्या 65, भवाद कांटा, ग्राम नेतडा तहसील बावडी, जिला जोधपुर 3– जयनारायण पुत्र बुधाराम के वारिसान – 3.1–करणसिह पुत्र जयनारायण जाति कुम्हार हाल निवासी पुराना बस स्टेण्ड गोटन, तहसील मेडता, जिला नागौर 4– रमजीराम पुत्र बुधाराम के का0मु– 4.1–महेन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 रमजीराम जाति कुम्हार हाल निवासी सिखवालो का बास, ग्राम गोटन तहसील मेडता जिला नागौर 4.2–अर्जुनराम पुत्र स्व0रमजीराम जाति कुम्हार हाल निवासी सेक्टर 1सी 169, महिला पुलिस थाना के पास, कुडी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर 4.3–आबुदेवी पुत्री स्व0 रमजीराम पत्नी प्रकाशजी जाति कुम्हार निवासी ग्राम टुकलिया गोटन के पास, तहसील मेडता, जिला नागौर 4.4–जेनादेवी पुत्र स्व0 रमजीराम पत्नी माणकजी जाति कुम्हार निवासी भगत की कोठी, गंदे नाले के पास, जोधपुर 5–मोहनलाल पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार निवासी बापू नगरी, ग्राम गोटन तहसील मेडता, जि0 नागौर 6–भंवरलाल पुत्र कानाराम 7–लिछमणराम पुत्र कानाराम 8–रामदेव पुत्र कानाराम 9–घनश्याम पुत्र कानाराम 10–रामप्रकाश पुत्र कानाराम 11–नेनीदेवी पत्नी कानाराम (फोत) 12–लिछमई पुत्री कानाराम 13–रामजोत पुत्री कानाराम 14–परमा पुत्री कानाराम रेस्पो.संख्या 6 से 14 सभी जातियान कुम्हार निवासीगण गोटन तहसील मेडता हाल निवासी धापी मारबल के सामने बनाड रोड, जोधपुर 15–सरपंच ग्राम पंचायत नेतडा, तहसील बावडी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–6–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2014 अनवान माडीदेवी वगैरा बनाम गुलाबराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पवन कुमार रांकावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 4/2 एवं 5 से 14 की ओर से।
3– श्री विकास शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4/1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नेतडा तहसील बावडी के खसरा नंबर 854/19 रकबा 100 बीघा भूमि मे से 1/7 हिस्से की खातेदार पानीदेवी पत्नी बुधाराम जाति कुम्हार सा0 गोटन थी । उक्त सहखातेदार पानीदेवी का देहांत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे विरासत के स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 2101 के विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 मे अपीलांटगण को हितबद्ध पक्षकार नही मानते हुए तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे समुचित, स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र उल्लेख नही होने से खारीज कर दी जाने पर अपीलांट ने उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पो.गण एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व0 खातेदार पानीदेवी के वारिसान होते हुए अपीलांटगण का नाम अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2101 मे दर्ज किये बिना मृतक खातेदार के शेष सभी वारिसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील पेश की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने के कारण को पर्याप्त नही मानते हुए तथा अपीलांटगण को हितबद्ध पक्षकार नही मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–3–18 अनुसार पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के जवाब एवं बहस मे चल रही थी तथा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कोर्ट केम्प नेतडा मे रखने का आदेशिका मे कोई उल्लेख नही किया गया था तथा आदेशिका दिनांक 5–4–2018 से सीधे 25–6–2018 को पत्रावली केम्प मे ले जाकर केवल रेस्पो0 गण के हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशान लगवाते हुए

एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकृत किया गया था इसलिए अपीलांटगण को उक्त म्युटेशन की जानकारी पूर्व मे नही हो सकी थी तथा कथन किया कि जब अपीलांटगण पटवारी हल्का के पास किसान कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकलें लेने गये तब उक्त खसरा नंबर की जमाबंदी अपीलांटगण के नाम नही होने की प्रथम बार जानकारी दिनांक 1–9–2014 को होने पर अपीलांटगण ने उक्त म्युटेशन की नकले आदि प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सलाह कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 2101 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का उक्त माकुल कारण का उल्लेख करने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की अपील को मयाद बाहर होना मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल की विभिन्न निर्णय नजीरो मे इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है कि "यदि मेरिट पर प्रकरण अच्छा हो तो अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर अपील को निरस्त नही करना चाहिये" परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 खातेदार पानीदेवी के खातेदारी की भूमि के संबंध मे विरासत के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 2101 के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा जो कि मृतक खातेदार पानीदेवी के पुत्र एवं उनके वारिसान है, जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है, जिनको प्रभावित पक्षकार नही मानकर तथा अपीलाधीन भूमि मे कब्जा नही होना मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि के संबंध उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के न्यायालय मे प्रस्तुत दावे मे पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री को आधार मानकर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नही मानते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष प्रस्तुत दावे मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना बाले बाले दिनांक 21–2–2003 व दिनांक 4–9–2004 को डिक्री प्राप्त की जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जो खारीज हो जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपीलांटगण ने अपील प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 3901/2015 अनवान धर्माराम वगैरा बनाम गुलाबराम वगैरा आज भी विचाराधीन है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जिस निष्कर्ष के साथ अपीलांट की अपील को खारीज किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांटगण को अपीलाधीन म्युटेशन के संबंध मे जानकारी पूर्व से ही अपीलांटगण के पिता अमराराम एवं सुजाराम को थी परंतु उन्होने अपने जीवनकाल मे उक्त म्युटेशन के संबंध मे कोई आपत्ति प्रकट नही की । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष प्रस्तुत दावे मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–2–2003 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 4–9–2004 की जानकारी होने पर अपीलांटगण ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे भी मयाद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारीज की जा चुकी है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अपीलांटगण किसी प्रकार का हक अधिकार हासिल नही हो सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह प्रकट है कि दिनांक 22–2–18 की आदेशिका जिसमे रेस्पो0 संख्या 4 के फोत होने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ । पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 15–3–18 को मुकर्रर की गई । दिनांक 15–3–18 की आदेशिका अनुसार एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी. का भी प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 5–4–2018 को मुकर्रर की गई । पत्रावली पर दिनांक 5–4–2018 की कोई आदेशिका ड्रॉ की हुई नही है तथा न ही पत्रावली को केम्प कोर्ट नेतडा मे रखने बाबत कोई आदेशिका मे उल्लेख है, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकारान को कोर्ट केम्प नेतडा की सूचना बाबत कोई नोटिस या सूचना का पत्र है परंतु पत्रावली आदेशिका अनुसार सीधे ही दिनांक 25–6–18 को राजस्व लोक अदालत केम्प नेतडा मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है ।

इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय मे पक्षकारान की उपस्थिति तथा पक्षकारान को मजमे आम सुना जाने का उल्लेख अवश्य किया हुआ है परंतु आदेशिका मे केवल रेस्पो0 के अंगुठा निशान व हस्ताक्षर आदेशिका मे किये हुए है, किसी अपीलांट के केम्प मे उपस्थित होने बाबत हस्ताक्षर या अंगुठा निशान आदेशिका (निर्णय) मे नही है । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा पारित किया है, जो नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा पत्रावली मे लबित प्रार्थना पत्रो पर विधिवत आदेश पारित करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर